रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 904] नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2011/वैशाख 28, 1933

No. 904] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2011/VAISAKHA 28, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2011

का.आ. 1101(अ).—केन्द्रीय सरकार ने वेल्लौर सिटिजेन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा फाईल की गई 1991 की रिट याचिका सं. 914 में माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 671(अ) द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए तमिलनाडु राज्य हेतु पारिस्थितिकी क्षति (निवारण और प्रतिकर का संदाय) प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन के साथ-साथ निम्नलिखित कृत्यों का पालन करने के लिए किया था, अर्थात् :—

(क) प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी और ऐसे व्यष्टिकों और कुटुम्बों की, जो प्रदूषण के कारण ग्रस्त हुए हैं, पहचान करना तथा उक्त व्यष्टिकों और कुटुम्बों को संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर का निर्धारण करना;

(ख) प्रदूषणकर्ताओं से नुकसानग्रस्त पर्यावरण को प्रत्यावर्तित करने की लागत के रूप में वसूल किए जाने वाले प्रतिकर का अवधारण करना;

(ग) प्रदूषणकर्ता के विरुद्ध अधिनिर्णीत प्रतिकर का संदाय करने से बचने या इंकार करने की दशा में प्रदूषणकर्ता के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा प्रबंधित किसी उद्योग या उद्योगों के किसी वर्ग को बंद करने का निदेश देना;

और केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिसूचना में समय-समय पर संशोधन किए थे, जिसके द्वारा प्राधिकरण का कार्यकाल विस्तारित हुआ था;

और माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में वेल्लौर सिटिजेन्स वेलफेयर द्वारा फाइल की गई 2006 की रिट याचिका में यह निदेश चाहा था कि उपरोक्त प्राधिकरण को स्थायी प्राधिकरण बनाया जाए और माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने उक्त रिक्त याचिका के लंबित रहने के दौरान यह आदेश किया था कि उक्त प्राधिकरण का कार्यकाल समय-समय पर बढ़ाया जाए;

और माननीय उच्च न्यायालय ने तारीख 13-12-2010 के अपने आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि—

"उपरोक्त परिसर में, हम मामले को 18 फरवरी, 2011 तक स्थागित करते हैं तब तक वर्तमान प्राधिकरण, कार्य करना जारी रखेगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है । इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख 28-2-2011 नियत की जाती है ।"

और माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 106(अ) तारीख 18 जनवरी, 2011 द्वारा प्राधिकरण का कार्यकाल 28 फरवरी, 2011 तक बढ़ाया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष और एक शपथपत्र फाइल किया था और माननीय उच्च न्यायालय ने उसी पर विचार करने के पश्चात् तारीख 28 फरवरी, 2011 के अपने आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया था कि—

"पहली न्यायपीठ द्वारा पारित तारीख 13 दिसम्बर, 2010 के आदेश को अगले आदेशों तक विस्तारित किया जाता है" ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित तारीख 28 फरवरी, 2011 के आदेश के अनुपालन में और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3